HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13549/2026
CNR: RJHC020826502026 | URN: CRLMB / 25047U / 2026

Dalchand Meena S/o Rampal Meena, Aged About 48 Years, R/o Khedli Chandrawat, Police Station Laxmangarh, District Alwar. (At Present Confined In Central Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manvendra Singh Choudhary, Adv. with Mr. Himanshu, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Nikhlesh Katara, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

25/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–189/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, अभियुक्त दिनांक 20.07.2026 से अभिरक्षा में है, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पूर्व में अभियुक्ता गुड्डी देवी को जमानत की सुविधा दी गई थी, तब उनके द्वारा परिवादी पक्ष के घर के आगे से विजयी जुलूस निकाला गया था और अंत में अपराध की

गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी पक्ष के व्यक्तियों के साथ मारपीट कर चोट कारित की। यद्यपि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर अपराध का आरोप है, लेकिन प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 20.07.2026 से अभिरक्षा में है, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **डालचन्द मीना पुत्र रामपाल मीना** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

12/DINESH KUMAWAT